

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Central Sanskrit University
जनकपुरी, नई दिल्ली
Janakpuri, New Delhi

अधिसूचना/Notification

दिनांक/Dated: 13.05.2022

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के अध्यादेश संख्या 4 (Section 6(1)(i), 6(1)(xiii), 6(2) and 46 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 and 14 of its First Statutes) के क्रम संख्या 2 पर केन्द्रीय शोध मण्डल का गठन निम्न प्रकार से किया गया है-

1) कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	अध्यक्ष
2) समस्त संकायाध्यक्ष	
I. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग (वेद, व्याकरण, ज्योतिष, पुराणेतिहास एवं धर्म-शास्त्र)	सदस्य
II. संकायाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र	सदस्य
III. संकायाध्यक्ष, दर्शन (सर्वदर्शन, जैन-दर्शन एवं बौद्ध-दर्शन)	सदस्य
IV. संकायाध्यक्ष, आधुनिक विषय	सदस्य
V. संकायाध्यक्ष, साहित्य	सदस्य
VI. संकायाध्यक्ष, दर्शन (अद्वैत-वेदान्त, मीमांसा, सांख्य-योग एवं न्याय-दर्शन)	सदस्य
VII. संकायाध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा (मुक्तस्वाध्यायपीठ)	सदस्य
3) कुलपति द्वारा नामित पाँच आचार्य (समस्त संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त)	
I. प्रो. विजयपाल शास्त्री, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग	सदस्य
II. प्रो. रमाकान्त पाण्डेय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर	सदस्य
III. प्रो. ललित कुमार साहु, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सदाशिव परिसर, उड़ीसा	सदस्य
IV. प्रो. देवदत्त सारोदे, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सदाशिव परिसर, उड़ीसा	सदस्य
V. प्रो. प्रतिभा आर., केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुवायर परिसर, केरल	सदस्य
4) कुलपति द्वारा नामित पाँच बाह्य विशेषज्ञ (विश्वविद्यायाल/संस्थाएं)	
I. डॉ. राजेन्द्र टी.के., शृंगेरी, कर्नाटक	सदस्य
II. प्रो. के. रामसुब्रह्मण्यन्, आई.आई.टी., मुम्बई	सदस्य
III. प्रो. रामनाथ झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
IV. प्रो. महेश देवकर, सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे	सदस्य
V. प्रो. राजाराम शुक्ल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
5) परीक्षा नियंत्रक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
6) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा नामित एक निदेशक	
I. प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज	सदस्य
7) कुलसचिव, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
8) निदेशक (शैक्ष. मा.) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य-सचिव

उक्त समिति का कार्यकाल वर्तमान गठन से दो वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक रहेगा।

यह सूचना संक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत की जा रही है।

(डॉ. देवनन्द शुक्ल)

उप-निदेशक (शैक्ष.)

प्रतिलिपि सूचनाथ:-

1. समिति के सभी माननीय सदस्य।
2. कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय।
3. वित्त विभाग
4. प्रशासन विभाग
5. संबद्ध सचिका

